

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No--- 396/26-प्रशा. आदेश (सा.प्रशा.) 2014-15

Dated---31.01.15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.275 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division P W D Paboo for **Construction of Cheri Bangla Mathigaon Motor Road** in **Pauni** district falls within jurisdiction of **Mathigaon** village (s) in **Chakisain** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature


(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector

DM/Collector

Garhwal

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No--- 396/26-प्र.प्र. 31/15 (सा.प्र.प्र.) 2014-15

Dated-31.08.15

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.275 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P W D Paboo for Construction of Cheri Bangla Mathigaon Motor Road in Pauri** district falls within jurisdiction of **Mathigaon** village (s) in **Chakisain** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

69

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above. Signature

Signature

(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector

DM Garhwal

Garhwal

प्रारूप-30.1

Annexure....

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)


**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Garhwal District constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandra Shekher Bhatt I.A.S deputy commissioner, Pauri on dated 31.01.15.....at time 4:15 PM.....at Pauri in which the application claiming rights in area measuring 2.275 Hect for the construction of Cheri Bangla Mathigaon Motor Road of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pauri sub division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:.....


 31.1.15
 Deputy Commissioner-cum-Chairman
 District Level Committee
 DM/Collector
 Garhwal
 Garhwal

(2)

It in Further Certified that Minutes of meeting of construction of Cheri Bangla Mathi Goan Motor Road (4.00 Km) Regarding FRA is as following.

Sl.NO		Remark
(a)	The complete process of identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 2.275 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest right committee (s), sub division level committee (s), and enclosed as annexure	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of a fore side construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups pre agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

सुनीता रावत
सुनीता रावत
दायत सदस्य 33 टीला
गैडी (गढ़वाल)

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest officer
Pauri Garhwal

Executive Engineer
C.D. P.W.D. Paboo
पाबो पाड़ा (गढ़वाल)

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal
DM/Collector
Garhwal

प्रपत्र-~~23~~ 30.3

परियोजना का नाम :- चेरी बंगला मंथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम संथी गांव
तहसील थैलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड में चेरी बंगला मंथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु N/L हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.275 हे0 सिविल सोयम भूमि N/L हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.275 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत संथी गांव द्वारा दि0 09/04/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम संथी गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / - राजेश्वर पंचायत
नमई-19 सिलाई
बिरास खण्ड थैलीसैण
ग्राम सचिव

ह0 / - पौड़ी गढ़वाल
ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 09/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री आनन्द सिंह S/o श्री चन्द्र सिंह	Anand
2	श्री लालचर सिंह पुत्र श्री धनान सिंह	Lalchar
3	श्री घीरा सिंह S/o श्री लूथी सिंह	Gheera
4	श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रीठू सिंह	Harender
5	श्री राकेश पुत्र श्री सत्यप्रसाद	Rakesh
6	श्री धनानन्द S/o श्री रामानन्द	Dhananand
7	श्री वीर सिंह पुत्र श्री भगत सिंह	Vir Singh
8	श्री कुंवर सिंह S/o शंकर सिंह	Kunwar Singh
9	श्री बंशीधर S/o नत्थीराम	Banshidhar
10	श्री सुरेन्द्र सिंह S/o जसवन्त सिंह	Surender Singh
11	श्री महेशाश्विपुत्र श्री शम्भुशम सिंह	Mahesh Ashwiputra

ग्राम पंचायत
नं. 12 सलिा देवी
विज्ञापन पत्र पंजीसंग



प्रपत्र-232 30.2

परियोजना का नाम :- चेरी बंगला मंथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।
कार्यालय उप जिलाधिकारी, थैलीसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पौड़ी

उपखण्ड उपवनप्रभाग पैठाणी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चेरी बंगला मंथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हे० आरक्षित वन भूमि NIL हे० सिविल एव सोयम वन भूमि-2.275 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.275 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थैलीसैण) की दि० 09/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल सिंह गवर्गह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
| 1- | श्री <u>अनिल सिंह गवर्गह</u> | उपजिलाधिकारी | <u>अनिल सिंह</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>ए.के. रे. गुला</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>ए.के. रे. गुला</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>मागवत सिंह</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>मागवत सिंह</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>मार्ग-सरिता देवी</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र/ग्रा०प०वि० अ० | <u>मार्ग-सरिता देवी</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चेरी बंगला मंथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु हेतु हे० आरक्षित वन भूमि 2.275 हे० सिविल ~~सोयम~~ भूमि 2.275 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.275 हे० का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पैठाणी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वार अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सहायक समाज कल्याण

अधिकारी

वि०ख० थैलीसैण पौड़ी 01/01/2015

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थैलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत चेरी बंगला मंथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु हेतु १५ हे० आरक्षित वन भूमि, १.२७५ हे० सिविल ~~सोयम~~ भूमि १.५ हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल १.२७५ हे० लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड ~~सहायक जिलाधिकारी~~ अधिकार समिति
तहसील - (पौड़ी)
जनपद - पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड ~~सहायक जिलाधिकारी~~ अधिकार समिति
तहसील - (पौड़ी)
जनपद - पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता (I)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पौड़ी पौड़ी (गढ़वाल)

(सुरेन्द्र सिंह)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - ~~चमड़ा~~
तहसील - ~~चमड़ा~~
जिला पौड़ी गढ़वाल

चाकीरेंग

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पौड़ी (गढ़वाल)

उप महाशायीय वनाधिकारी
पौड़ी उप वनप्रभाग
पौड़ी

वन क्षेत्राधिकारी
पैठाणी राजि
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)